न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/40/2023 रजू दिनांक: 16.02.2023 रजि0 न0 2023/118

अपीलार्थी:–
श्री अमरनाथ शर्मा पुत्र श्रीनिवास शर्मा, ग्राम सक्तपुरा बावद, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर–301706 (राजस्थान)।

प्रत्यर्थी:–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय,जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 13.03.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2022 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.02.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/427 दिनांक 23.02.2023 के माध्यम अवगत कराया है कि प्रकरण में वांछित सूचना इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण मूल RTI आवेदन कार्यालय पत्र सं0 3133–36 दिनांक 27.12.2022 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बावद, पं.स.मुण्डावर को सूचना अन्तरित किया जा चुका है, अपीलार्थी अग्रिम जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें अथवा प्राप्त नहीं होने पर उनके ज्येष्ठ पंक्ति के वरिष्ठ अधिकारी, सरपंच ग्राम पंचायत बावद, पं.स. मुण्डावर को सूचना का अधिकार अधि0 2055 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करें। इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यावाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 13.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)